



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273358  
CG-DL-E-11062026-273358

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2898]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948

No. 2898]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

का.आ. 2996(अ).— केंद्रीय सरकार, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 100 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन स्थापनों में, जहां केंद्रीय सरकार समुचित सरकार है, संहिता की धारा 14 के अधीन वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद की मान्यता के प्रयोजनों के लिए सत्यापन अधिकारी नियुक्त करने हेतु औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 9 के उप नियम (3) के अधीन इसमें निहित शक्ति को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में औद्योगिक संबंधों को देखने वाले संयुक्त सचिव की श्रेणी के अधिकारियों को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित करती है।

[फा. सं. एस-11025/13/2026-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th June, 2026

**S.O. 2996(E).**— In exercise of the powers conferred by section 100 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), the Central Government hereby delegates its powers to the officers of the rank of Joint Secretary looking after Industrial Relations in the Ministry of Labour and Employment, the power vested in it under sub rule (3) of rule 9 of the Industrial Relations (Central) Rules, 2026 to appoint verification officer for the purposes of recognition of negotiating union or negotiating council under section 14 of the Code in establishments, where the Central Government is the appropriate Government.

[F. No. S-11025/13/2026-IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.